रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2016/श्रावण 31, 1938
No. 330] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2016/SRAVANA 31, 1938

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2016

सं. एन-10/001(3)/2015-प्र.भा.भ.बो.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 9 और धारा 11 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ समूह 'घ' पद) सेवा विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, जहां तक पुस्तकालय परिचर, स्टुडियो परिचर, रिकॉर्ड सॉर्टर, स्टुडियो गार्ड, दफ्तरी, दफ्तरी-सह-गेस्टेटनर प्रचालक, सॉर्टर, लिफ्टमैन, गेस्टेटनर प्रचालक (कनिष्ठ वेतनमान), मुख्य सफाईवाला, चपरासी, माली, फ़राश, पैकर/मज़दूर, सफाईवाला, फ़राश-सह-सफाईवाला के पदों का संबंध है, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या छोड़े गए कार्यों के अतिरिक्त, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

   (i) इन विनियमों का नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) बहु-कार्य कर्मचारी (गैर-तकनीकी) सेवा विनियम, 2016 होगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान.—**पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, पे बैंड़ और ग्रेड पे या वेतनमान वह आसक्त होगा जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य उक्त अनुसूची के कालम (5) से (12) में विनिर्दिष्ट होंगी।

4. वरिष्ठता.—इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त होने वाले बहु-कार्य कर्मचारी की पारस्परिक वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार होगी।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. छूट देने की शक्ति.—जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और प्रसार भारती भर्ती बोर्ड से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।

7. व्याख्या.—यदि इन विनियमों के कार्यान्वयन संबंधी कोई प्रश्न उठता है तो प्रसार भारती का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारी (गैर-तकनीकी) (जो पहले थे पुस्तकालय परिचर, स्टूडियो परिचर, रिकॉर्ड सार्टर, स्टूडियो गार्ड, दफ्तरी, दफ्तरी-सह-गेस्टेटनर-ऑपरेटर, सार्टर, लिफ्टमैन, गेस्टेटनर ऑपरेटर, (कनिष्ठ स्केल) मुख्य सफाईवाला, चपरासी, माली, फराश, पैकर/मजदूर, सफाईवाला, फराश-सह-सफाईवाला)	2396 (2016) * पदों में परिवर्तन कार्य मात्रा के अधीन होगा। **टिप्पणी :** प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या विभिन्न श्रेणी में कॉलम 1 में दर्शाए पदों के अनुसार होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'ग'	पे बैंड-1, (रू. 5200-20,200) ग्रेड पे रू. 1800/-	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष और जनजाति से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक छूट)। **टिप्पणी 1 :** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, परंतु वे अंतिम तारीख जो कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप प्रभाग, संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

					या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित नहीं होगी। **टिप्पणी 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि रोजगार कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियों से नाम प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	**सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं**	**परिवीक्षा अवधि।**	**भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनि-युक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत**
(7)	(8)	(9)	(10)
दसवीं उत्तीर्ण या समकक्ष या आई.टी.आई उत्तीर्ण	लागू नहीं	दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा।** टिप्पणी: एक साल की अवधि या उससे अधिक के लिए या किसी अन्य परिस्थिति में या अध्ययन अवकाश या लंबी बीमारी या पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण उत्पन्न रिक्ति को केंद्रीय सरकार के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा। क) नियमित आधार पर समकक्ष पद पर कार्यरत; और ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता के साथ

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति/ या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना**	**परिस्थितियां जिसमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना है**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	**स्थायीकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति (आकाशवाणी/दूरदर्शन के महानिदेशालय के लिए)** 1*. उप निदेशक प्रशासन (मुख्यालय) —अध्यक्ष 2*. उप निदेशक प्रशासन —सदस्य 3*. अनुभाग अधिकारी —सदस्य **(आकाशवाणी के केंद्रों या कार्यालयों या दूरदर्शन केंद्रो के लिए)** **1.** सहायक केंद्र अभियंता या सहायक केंद्र निदेशक या आकाशवाणी या दूरदर्शन के कार्यालय या केंद्र में समकक्ष रैंक के अधिकारी —अध्यक्ष	लागू नहीं

	2. आकाशवाणी केंद्र/दूरदर्शन केंद्र में सहायक अभियंता या कार्यक्रम निष्पादक —सदस्य **3.** आकाशवाणी केंद्र/दूरदर्शन केंद्र में प्रशासनिक अधिकारी या प्रधान लिपिक/लेखाकार —सदस्य * उप महानिदेशक (प्रशासन) आकाशवाणी द्वारा नामित किया जाए।	

संजीव कुमार जिंदल, अपर महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./216 (163)]

BROADCASTING CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2016

No. N-10/001(3)/2015-PBRB.—In exercise of the powers conferred by section 9 and sub-section (5) of section 11 read with clause (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Group 'D' posts) Service Regulations, 2002, in so far as they relate to the posts of Library Attendent, Studio Attendant, Record Sorter, Studio Guard, Daftry, Daftry-cum-Gestetner Operator, Sorter, Liftman, Gestetner Operator (Junior Scale), Head Safaiwala, Peon, Mali, Farash, Packer/Mazdoor, Safaiwala, Farash-cum-safaiwala, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), with prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Multi-tasking Staff (Non-technical) Service Regulations, 2016.

   2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (12) of the said Schedule.

4. Seniority.—The inter-se seniority of the Multi-tasking Staff who are appointed under these regulations shall be in accordance with the general instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.

5. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Power to relax.—Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

7. Interpretation.—If any question relating to interpretation of these regulations arises, decision of Prasar Bharati thereon shall be final.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)
Multi-Tasking Staff (Non-Technical) (Erstwhile Library Attendant, Studio Attendant, Record Sorter, Studio Guard, Daftry, Daftry-cum-Gestetner-Operator, Sorter, Liftman, Gestetner Operator (Jr. Scale), Head Safaiwala, Peon, Mali, Farash, Packer/Mazdoor, Safaiwala, Farash-cum-safaiwala)	2396 (2016) * Subject to variation dependent on the work load. **Note**: The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for various categories as indicated in Column 1 grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'C'.	Pay band -1, (Rs. 5200-20200) plus grade pay of Rs. 1800/-.

Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note.-1** The crucial date for determining the age limit shall the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spitii District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. **Note.-2** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation or equivalent pass OR ITI Pass.	Not applicable.

Period of probation, if any	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**
(9)	(10)
Two years.	By direct Recruitment. **Note**.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) Holding analogous posts on regular basis; and (b) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment**
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'C' Departmental promotion Committee for considering confirmation (for Directorate of Akashvani/ Doordarshan)** 1*. Deputy Director Administration (Headquarters) - Chairman 2*. Deputy Director Administration - Member 3*. Section Officer - Member **(For Station or Office of Akashvani or Doordarshan Kendra**) 1. Assistant Station Engineer or Assistant Station Director or an officer of equivalent rank in the office or Station of Akashvani or Doordarshan Kendra – Chairman 2. Assistant Engineer or Programme Executive in the Akashvani Station /Doordarshan Kendra – Member 3. Administrative Officer or Head Clerk/ Accountant in the Akashvani Station/Doordarshan Kendra – Member * To be nominated by Deputy Director General (Administration), Akashvani.	Not applicable.

SANJEEV KUMAR JINDAL, Addl. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./216 (163)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.23 13:38:03 +05'30'